

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-364
उत्तर देने की तारीख-22/07/2026

माध्यमिक और विश्वविद्यालय शिक्षकों के लिए सीटीईटी

364 डा. लक्ष्मीकान्त बाजपेयी:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या माध्यमिक और विश्वविद्यालय शिक्षकों के लिए केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) की तत्काल आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे शिक्षकों के लिए केवल डिग्री पर निर्भर रहने का मतलब है कि जैसे-जैसे छात्र बड़े होते हैं, शिक्षण की गुणवत्ता और विशेष शिक्षण-पद्धति कम महत्वपूर्ण हो जाती है, जबकि किशोरों को पढ़ाने के लिए जटिल किशोर मनोविज्ञान, करियर काउंसलिंग, भावनात्मक मार्गदर्शन और उन्नत कक्षा प्रबंधन की गहरी समझ की आवश्यकता होती है; और

(ख) क्या सरकार माध्यमिक और विश्वविद्यालय शिक्षकों के लिए सीटीईटी या इसी तरह की कोई परीक्षा शुरू करने का विचार रखती है, क्योंकि केवल उच्च डिग्री होने से विषय का ज्ञान तो साबित होता है, लेकिन इससे यह पता नहीं चलता कि शिक्षक में पढ़ाने या बड़े किशोरों की व्यवहार संबंधी चुनौतियों को संभालने की वास्तविक योग्यता है या नहीं?

उत्तर

**शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)**

(क) और (ख): राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता को दिनांक 23.08.2010 की अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किया। उनमें निर्धारित अनिवार्य योग्यताओं में से एक यह है कि कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षक के रूप में नियुक्ति चाहने वाले व्यक्ति को एनसीटीई दिशानिर्देश, 2011 के अनुसार उपयुक्त सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण करना होगा। टीईटी निर्धारित करने का औचित्य भर्ती प्रक्रिया में शिक्षक गुणवत्ता के राष्ट्रीय मानकों और बेंचमार्क स्थापित करना, शिक्षक शिक्षा संस्थानों में सुधार को प्रोत्साहित करना और शिक्षक गुणवत्ता पर जोर देना है। टीईटी अन्य बातों के साथ-साथ, बाल विकास और शिक्षाशास्त्र, भाषा

प्रवीणता, विषय ज्ञान और स्कूल शिक्षा के चरण के लिए प्रासंगिक शैक्षणिक समझ का मूल्यांकन करता है।

टीईटी की अपेक्षा कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों के लिए लागू है। इस स्तर से परे शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता और योग्यता माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए लागू संबंधित वैधानिक प्रावधानों और विनियमों द्वारा शासित है।

उच्चतर शिक्षा संस्थानों के लिए, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) विनियम और उच्च शिक्षा में मानकों के रखरखाव के उपाय, 2018, दिनांक 18.07.2018 को अधिसूचित किया गया, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों और शैक्षणिक कर्मचारियों की भर्ती, पदोन्नति और सेवा शर्तों के लिए समान मानक निर्धारित करता है। विनियमों में सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर और वरिष्ठ प्रोफेसर सहित विभिन्न शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम पात्रता मानदंड, योग्यता और पारदर्शी चयन प्रक्रियाओं का निर्धारण किया गया है। प्रवेश-स्तर के शिक्षण पदों के लिए, विनियमों में प्रासंगिक स्नातकोत्तर योग्यता और राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) या समकक्ष योग्यता की आवश्यकता जहां भी लागू हो, निर्धारित की गई है, उच्च शैक्षणिक पदों के लिए, विनियम अतिरिक्त शैक्षणिक और अनुसंधान प्रमाण-पत्रों को निर्धारित करते हैं, जिसमें अनुसंधान प्रकाशन, अनुसंधान पर्यवेक्षण और अन्य विद्वत्तापूर्ण योगदान शामिल हैं।

उच्चतर शिक्षा संस्थानों में सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों की पात्रता निर्धारित करने के लिए यूजीसी-राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (यूजीसी-नेट) आयोजित की जाती है और आम तौर पर प्रति वर्ष 87 विषयों में दो बार आयोजित की जाती है। इसी तरह, संयुक्त सीएसआईआर-यूजीसी नेट प्रति वर्ष पांच विषयों में दो बार आयोजित किया जाता है।
